सिविल मिसेलेनियस
न्यायमूर्ति, बाल राज तुली के समक्ष,

जे. जे. आई. एल. ए. एल.,-याचिकाकर्ता।
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।
सिविल रिट नं. 821 सन 1968
17 जुलाई ,1969

पंजाब पंचायत समितियाँ और जिला परिषद अधिनियम (III of 1961) - धारा 17,18 और 20-पंजाब पंचायत समितियाँ (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा पद की समाप्ति) नियम (1963)-नियम 3 और 6-किसी प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को हटाना और समिति की बैठक में नए अध्यक्ष का चुनाव-ऐसी बैठक-चाहे वह उपायुक्त द्वारा बुलाई जानी चाहिए-उपाध्यक्ष-बैठक बुलाने या अध्यक्षता करने के लिए सक्षम हो-नियम 6 के तहत जारी किए गए नोटिस-उपायुक्त कोई निर्देश जारी नहीं करते-पुराने को हटाने के बाद नया अध्यक्ष चुना गया-ऐसा चुनाव-चाहे वैध हो-पंजाब पंचायत समितियाँ और जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (चुनाव) नियम (1961)नियम 3-क्या यह धारा 38 और 19 के तहत हुए चुनाव पर लागू होता है।

पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 17 में पंचायत समिति के गठन के समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की रीति का उपबंध है और धारा 20 में यह उपबंध है कि धारा 17 के उपबंध अधिनियम की धारा 18 या धारा 19 में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न उस पद में कोई रिक्ति होने पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव पर लागू होंगे। धारा 18 में यह उपबंध है कि यदि किसी प्रस्ताव द्वारा अपने सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है, तो पंचायत समिति निर्धारित रीति से बुलाई गई बैठक में निर्णय लेती है कि वह अपना पद खाली कर देगा, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस पद पर बने रहना बंद कर देंगे और ऐसी स्थिति में पंचायत समिति उसी बैठक में एक नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी जिस पर उपरोक्त प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 17 में उपबंधित निर्वाचन की रीति समिति द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाए गए उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर लागू नहीं होती है। यह आवश्यक नहीं है कि धारा 18 के अधीन हटाए गए पुराने अध्यक्ष के स्थान पर नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक उपायुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार बुलाई जानी चाहिए। समिति के उपाध्यक्ष ऐसी बैठक बुला सकते हैं और इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं।(पैरा4)I) यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब पंचायत समितियों (सभापति और उपाध्यक्ष द्वारा पद की समाप्ति) नियम, 1963 के नियम 6 के अधीन उपाध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाकर सदस्यों को नोटिस जारी किया जाता है और उस नोटिस में उस बैठक में विचार किए जाने वाले प्रस्ताव का एजेंडा शामिल होता है। उस बैठक को बुलाने के लिए उपायुक्त के पास करने के लिए कुछ नहीं है।
चूंकि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के स्थान पर एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसे बैठक में हटा दिया जाता है, को उसी बैठक में चुना जाना है, इसलिए उपायुक्त के लिए यह निर्देश देना खुला है कि यदि 'अविश्वास प्रस्ताव' लाया जाता है और नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में आइटम पर विचार किया जाना है, तो बैठक की अध्यक्षता उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी, लेकिन यदि वह ऐसा कोई निर्देश नहीं देता है, तो 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करने वाली बैठक हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर एक नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। नए अध्यक्ष का चुनाव पूरी तरह से वैध और वैध है।
(पैरा 6)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (निर्वाचन) नियम, 1961, केवल अधिनियम की धारा 17 या धारा 20 के अधीन किए गए निर्वाचनों का निर्देश कर सकते हैं और अधिनियम की धारा 18 या धारा 19 के अधीन किए गए निर्वाचनों का नहीं। अध्यक्ष को हटाने के लिए या अधिनियम की धारा 18 के तहत उनके स्थानापन्न के चुनाव के लिए बैठक का सारांश पी 1 पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (चुनाव) नियम, 1961 के नियम 2 (डी) में परिभाषित पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना था।(पैरा 5)/, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी सं. 6 से 29 और संकल्प स। 52 पंचायत समिति की बैठक में पारित किया गया याचिकाकर्ता को अध्यक्ष और पंचायत समिति, जींद के कार्यालय से हटाकर, प्रत्यर्थी नं। 7 याचिकाकर्ता के स्थान पर पंचायत समिति, जींद के अध्यक्ष के रूप में और प्रत्यर्थी नं. 7 पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में अवैध, अवैध और शून्य था और यह कि

याचिकाकर्ता प्रथम पंचायत समिति का विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष बना हुआ है और प्रत्यर्थी नं. 2 से 29 पंचायत समिति, जींद के अध्यक्ष के पद के पूर्ण कार्यकाल के लिए पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में बने रहने के याचिकाकर्ता के अधिकार को रोकने या उसमें हस्तक्षेप करने के लिए।

याचिकाकर्ता की ओर से एम. एस. जैन, एच. एल. सरीन (और ए. एल. बहल, अधिवक्ता)।
पी. एस. जैन, वी. एम. जैन और जे. एस. नारंग, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए नं. 2 से 29 तक।
6, 11, 12, 14, 17 से 20 और 22 उत्तरदाताओं के लिए हरभगवान सिंह, एक डी. वी. ओ. सी. ए. टी.

निर्णय

न्यायमूर्ति , बाल राज तुली,

-याचिकाकर्ता को जनवरी 1965 में पंचायत समिति, जींद के प्राथमिक सदस्य के रूप में चुना गया था। इसके बाद उन्हें 16 फरवरी, 1965 को उक्त समिति का अध्यक्ष चुना गया। 18 जनवरी, 1968 को पंचायत समिति के कुछ सदस्यों ने प्रतिवादी नं. 6, जो समिति के उपाध्यक्ष थे, पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 18 (1) के तहत पंचायत समिति की बैठक बुलाने के लिए (जिसे यहां अधिनियम कहा गया है) उनके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ता को पंचायत समिति के अध्यक्ष का पद खाली करने की आवश्यकता है। प्रतिवादी नं. 6 ने उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 31 जनवरी, 1968 को 2.30 p.m पर पंचायत समिति की बैठक बुलाई। बैठक की सूचनाएं प्रत्यर्थी नं. 6 19 जनवरी, 1968 को। याचिकाकर्ता ने पंचायत समिति, जींद के सभी सदस्यों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 29 जनवरी, 1968 को अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, जींद की अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्हें 31 जनवरी, 1968 के लिए बुलाई गई बैठक आयोजित करने से रोक दिया गया। विद्वत अधीनस्थ न्यायाधीश ने एक अंतरिम निषेधाज्ञा और प्रत्यर्थी नं. 7 ने एक आवेदन दायर किया। 30 जनवरी, 1968 को इसे खाली कर दिया। उस आवेदन को अगले दिन बहस के लिए तय किया गया था। दलीलों के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस प्रकार 31 जनवरी, 1958 को कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि, उन्होंने अगले दिन इस आधार पर अपना इस्तीफा वापस ले लिया कि यह तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके उनसे जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव में प्राप्त किया गया था।

(2) 5 फरवरी, 1968 को, पंचायत समिति के ग्यारह सदस्यों ने फिर से पंजाब पंचायत समितियों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा पद की समाप्ति) नियम, 1963 के नियम 3 के तहत एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें याचिकाकर्ता को पंचायत समिति, जींद के अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए कहा गया था। इस अनुरोध की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी नं. 6 ने 6 फरवरी, 1968 को सभी सदस्यों को 14 फरवरी, 1938 को होने वाली बैठक के लिए नोटिस जारी किए। पाँच सदस्यों को नोटिस व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे और अन्य को नोटिस कथित रूप से पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत भेजे गए थे। याचिकाकर्ता ने अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में एक आवेदन दायर किया, जहां उनका मुकदमा एक अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए लंबित था, जिसमें समिति के सदस्यों को 14 फरवरी, 1968 को कोई भी बैठक करने से रोक दिया गया था। 13 फरवरी, 1968 को, दिन के शुरुआती घंटों में, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की, लेकिन दोपहर में प्रतिनिधि नं। 7. इस प्रकार बैठक 14 फरवरी, 1968 को आयोजित की गई, जैसा कि बुलाया गया था, और याचिकाकर्ता को छोड़कर सभी सदस्यों ने इसमें भाग लिया। कुल पच्चीस नियमित सदस्य और दो पदेन सदस्य थे, जिनमें से चौबीस नियमित सदस्य और दो पदेन सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने सर्वसम्मति से याचिकाकर्ता को सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया। उनके स्थान पर प्रत्यर्थी नं. 7 को सर्वसम्मति से पंचायत समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रत्यर्थी का चुनाव नं. 7 अध्यक्ष के रूप में अगले दिन राजपत्रित किया गया था। याचिकाकर्ता ने 28 फरवरी, 1968 को इस अदालत में वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिसे अगले दिन स्वीकार कर लिया गया, लेकिन रोक को अस्वीकार कर दिया गया।

(3) रिट याचिका पर रिटर्न प्रतिवादियों द्वारा दायर किया गया है। 2, 5, 6, 7 और 19 और प्रत्यर्थी सं। 17 प्रत्यर्थी नं. 8 से 29 तक।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि 14 फरवरी, 1968 को आयोजित बैठक न तो वैध थी और न ही कानूनी, क्योंकि यह अधिनियम और नियमों के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करती है। विद्वान् वकील ने अधिनियम की धारा 17 और 20 का उल्लेख किया है। धारा 17 में पंचायत समिति के गठन के समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध है और धारा 20 में यह उपबंध है कि धारा 17 के उपबंध अधिनियम की धारा 18 या धारा 19 में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न उस पद में कोई रिक्ति होने पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर लागू होंगे। धारा 18 में यह उपबंध है कि यदि अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पंचायत समिति निर्धारित रीति से बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लेती है कि वह अपना पद खाली कर देगा, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस पद पर बने रहना बंद कर देंगे और ऐसी स्थिति में पंचायत समिति उसी बैठक में एक नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी जिस पर उपरोक्त संकल्प पारित किया गया है। इस प्रकार यह

स्पष्ट है कि धारा 17 में प्रस्तावित चुनाव का तरीका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव पर लागू नहीं होता है जब समिति द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा दोनों में से किसी एक को हटा दिया जाता है। याचिकाकर्ता को धारा 18 के तहत अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था और उसके स्थान पर नए अध्यक्ष का चुनाव उस बैठक में किया जाना था। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता के स्थान पर एक नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए इस बैठक को अधिनियम की धारा 17 के अनुसार उपायुक्त द्वारा बुलाया जाना था और यह कि उपाध्यक्ष बैठक नहीं बुला सकता था या इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता था। इसलिए, मुझे विद्वान वकील के इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता है।

(5) विद्वान वकील ने तब पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (चुनाव) नियम, 1961 का उल्लेख किया है। इन नियमों के नियम 3 में कहा गया है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पंचायत समिति के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा जो पीठासीन अधिकारी द्वारा उस ओर से निर्दिष्ट किया जाए, जो उस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक का आयोजन और अध्यक्षता करेगा। पीठासीन अधिकारी 'का अर्थ उपायुक्त से है, या ऐसा राजपत्रित अधिकारी, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से कम नहीं है, जिसे इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उप-आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, ये नियम केवल अधिनियम की धारा 17 या धारा 20 के तहत आयोजित चुनावों को संदर्भित कर सकते हैं और अधिनियम की धारा 18 या धारा 19 के तहत आयोजित चुनावों को नहीं। अतः यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अध्यक्ष को हटाने के लिए या अधिनियम की धारा 18 के अधीन उसके स्थानापन्न के निर्वाचन के लिए बैठक पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (निर्वाचन) नियम, 1961, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, के नियम 2 (घ) में यथा परिभाषित है, पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाई जानी थी। इस प्रकार विद्वान वकील के तर्क में कोई बल नहीं है कि बैठक उपायुक्त या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा बुलाई जानी थी जिसे उनके द्वारा नियुक्त किया गया हो सकता है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पंजाब पंचायत समितियों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा पद की समाप्ति) नियम, 1963 के नियम 3,4,6 और 7 पर भी भरोसा किया है। नियम 3 में कहा गया है कि एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना, जिसमें अध्यक्ष को अपना पद खाली करने की आवश्यकता होती है, उपाध्यक्ष को संबोधित की जानी चाहिए, जिन्हें नियम 4 के तहत सूचना प्राप्त होने की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर एक बैठक बुलानी होती है। नियम 6 सदस्यों को नोटिस देने का तरीका देता है और नियम 7 इस प्रकार हैः-"जैसे ही नियम 6 के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं, संबंधित उपायुक्त को बैठक के समय, तिथि और स्थान के बारे में भी सूचित किया जाएगा ताकि वह पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 18 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों का चुनाव कराने की व्यवस्था कर सके।

विद्वान वकील इस नियम की व्याख्या इस अर्थ में करते हैं कि नियम 6 के तहत जारी नोटिस की सूचना प्राप्त होने पर, उपायुक्त को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए एक बैठक आयोजित करने की व्यवस्था करनी होती है। मुझे इस व्याख्या से सहमत होने में असमर्थता पर खेद है। यह ध्यान देने योग्य है कि नियम 6 के तहत नोटिस सदस्यों को उपाध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाकर जारी किया जाता है और उस नोटिस में उस बैठक में विचार किए जाने वाले प्रस्ताव का एजेंडा होता है। उस बैठक को बुलाने के लिए उपायुक्त के पास करने के लिए कुछ नहीं है। चूंकि बैठक में हटाए गए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव उसी बैठक में किया जाना है, इसलिए उपायुक्त के लिए यह निर्देश देना खुला है कि यदि 'अविश्वास प्रस्ताव' लाया जाता है और नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विषय पर विचार किया जाना है, तो बैठक की अध्यक्षता उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी, लेकिन यदि वह ऐसा कोई निर्देश नहीं देता है, तो 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करने वाली बैठक हटाए गए के स्थान पर नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। तत्काल मामले में जींद के उपायुक्त ने अपना रिटर्न दाखिल किया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें बैठक के समय, तिथि और स्थान का नोटिस मिला है और उन्होंने प्रथम श्रेणी के कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री आर. एस. अग्रवाल को पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में भाग लेने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिनियुक्त किया है। श्री अग्रवाल ने बैठक में भाग लिया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति उपायुक्त की वापसी के लिए अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है। उस रिपोर्ट में श्री अग्रवाल ने कहा कि बैठक सुचारू रूप से आयोजित की गई और याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी प्रकार उत्तरदाता नं. 7 को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया और उस संबंध में भी बैठक सुचारू रूप से आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता के अलावा हर सदस्य ने भाग लिया। इसलिए मेरा मानना है कि उपायुक्त याचिकाकर्ता के हटाए जाने के बाद उसके स्थान पर नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी कर सकता था, लेकिन चूंकि उसने ऐसा नहीं किया था, इसलिए उपाध्यक्ष द्वारा बुलाई गई और 14 फरवरी, 1968 को हुई बैठक नए अध्यक्ष का चुनाव करने के उसके अधिकार के भीतर थी। प्रत्यर्थी का चुनाव नं. 7 नए अध्यक्ष के रूप में, इसलिए, परिपूर्ण है पूरी तरह से वैध और कानूनी। यह अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उस व्यक्ति के स्थान पर नए अध्यक्ष के चुनाव के विषय पर वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता है जिसे अपना पद खाली करना है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि 14 फरवरी, 1968 को आयोजित बैठक अवैध थी क्योंकि पंजाब पंचायत समितियों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा कार्यालय की छुट्टी) नियम, 1963 के नियम 6 के अनुसार सभी सदस्यों को नोटिस नहीं दिया गया था। यह कहा गया है कि नोटिस बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पहले जारी किया जाना था और इसे सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से देकर या उन्हें सौंपकर दिया जाना था। ऐसा केवल पाँच सदस्यों के मामले में किया गया था। अन्य लोगों को पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत नोटिस जारी किए गए थे। डाक के माध्यम से सूचना केवल तभी भेजी जा सकती थी जब कोई सदस्य पंचायत समिति क्षेत्र में नहीं रहता था और उसका पता कहीं और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ज्ञात था और सूचना पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जानी थी। पोस्टिंग प्रमाणपत्र के तहत नोटिस भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई सदस्य अपने निवास स्थान पर नहीं मिलता है, तो नोटिस को उसके स्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे डाक के माध्यम से जारी नहीं किया जा सकता है। मेरी राय है कि पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत डाक द्वारा नोटिस भेजना और उन्हें सदस्यों के निवास स्थान पर नहीं पहुंचाना केवल एक अनियमितता थी, जिसकी याचिकाकर्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की जा सकती है, क्योंकि सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था। उन्होंने अपने लिखित बयान दायर किए हैं और इस बात की शिकायत नहीं की है कि वे नोटिस देने के तरीके से किसी भी तरह से पूर्वाग्रह में थे। याचिकाकर्ता को बैठक के आयोजन के बारे में पता था क्योंकि उसने उस बैठक के आयोजन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा उस बैठक में आयोजित कार्यवाही से मैंने पाया कि याचिकाकर्ता को छोड़कर हर अन्य सदस्य ने भाग लिया और याचिकाकर्ता को हटाने और प्रतिवादी नं। 7 अध्यक्ष के रूप में। यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में सदस्यों का बहुमत नहीं था और इसलिए वह 'अविश्वास प्रस्ताव' का सामना नहीं करना चाहते थे। याचिकाकर्ता के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है-न्याय में बहुत कम प्रकट-और मैं यह मानने के लिए इच्छुक नहीं हूं कि सदस्यों पर नोटिस की सेवा के तरीके में अनियमितता के कारण बैठक अवैध थी।

(8) ऊपर दिए गए कारणों से, मुझे इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिसे खारिज कर दिया जाता है। लेकिन मामले की परिस्थितियों में मैं याचिकाकर्ता पर लागत का बोझ नहीं डालना चाहता।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा